उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –371/2023

प्रेमराय वगै0............................वादीगण।

बनाम्

प्रमोद राय वगै0...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

पश्चात
07.10.2025

वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 01.03.2024 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 15 ओम प्रकाश की मृत्यु जनवरी 2023 को हो चुकी है अनुरोध करते हैं कि मृत प्रतिवादी सं0 15 ओम प्रकाश का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय। मृत प्रतिवादी सं0 15 ओम प्रकाश के वारिस उनके पुत्र मनीष कुमार पहले से ही अभिलेख पर प्रतिवादी सं0 16 के रूप में मौजूद है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति अंकित किये है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 01.03.2024 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत प्रतिवादी सं0 15 ओम प्रकाश का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है ।

दिनांक–04.11.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)